रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 403] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 2, 2003/वैशाख 12, 1925
No. 403] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 2, 2003/VAISAKHA 12, 1925

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 मई, 2003

का.आ. 490(अ).—केन्द्रीय सरकार निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जीवित मछली का निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण, निरीक्षण और मानिटरिंग) नियम, 2002 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जीवित मछली का निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण, निरीक्षण और मानिटरिंग) (संशोधन) नियम, 2003 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. जीवित मछली का निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण, निरीक्षण और मानिटरिंग) नियम, 2002 के नियम 16 में,—

(क) उपनियम (i) में "खंड 9" के स्थान पर "नियम 9" रखें;

(ख) उपनियम (ii) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(iii) अपील का निपटान उसकी प्राप्ति के तीस दिन के भीतर किया जाएगा।"

[फा. सं. 6/4/2000-ईआई एण्ड ईपी]

एम. वि. पि. सि. शास्त्री, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : मूल नियम, जिनमें अभी तक संशोधन नहीं हुआ है, का.आ. 478 (अ) दिनांक 1-5-2002 द्वारा भारत का राजपत्र 2002 के भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd May, 2003

S.O. 490(E).—In exercise of the powers conferred by Section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Export of Live Fish (Quality Control, Inspection and Monitoring) Rules, 2002, namely :—

1. (1) These rules may be called the Export of Live Fish (Quality Control, Inspection and Monitoring) (Amendment) Rules, 2003.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Export of Live Fish (Quality Control, Inspection and Monitoring) Rules, 2002, in rule 16 :—

(a) in sub rule (i), for "clause 9", substitute, "Rule 9";

(b) after sub-rule (ii), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(iii) The appeal shall be disposed of within thirty days of its receipt.

[F. No. 6/4/2000-EI&EP]

M.V.P.C. SASTRY, Jt. Secy.

Foot Note : The principal rules were published vide Notification S.O. 478 (E) dated 1st May, 2002 in the Gazette of India 2002, Part II, Section 3, Sub-section (ii), which has not been amended so far.

IndiaCode

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.